अपील सूचना अधिकार संख्या 143/2020 (RCMS 2020/00254) मनजीत सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी म.स. 3/8, वार्ड सं. 8, केवी पैलेस के पास, रायसिंहनगर (मोबाईल नम्बर 94132–30377) बनाम तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मनजीत सिंह उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2020 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायसिंहनगर को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 2 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उस पर 250/– प्रतिदिन शास्ति अधिरोपित करने एवं लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क वांछित सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मनजीत सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. **इंतकाल संख्या 16/20.05.74 चक 22 एनपी प.म. 19 एनपी, ग्राम पंचायत करड़वाली की फोटो प्रति।**
2. **प्रा.पत्र अवतार सिंह मय समस्त दस्तावेज जिस पर इन्तकाल तस्दीक किया गया मय तहसीलदार के आदेश 15.05.74 की फोटो प्रतियां**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/2406 दिनांक 21.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हे कि आप द्वारा सूचना का अधिकार एक्ट 2005 के तहत चक 22 एनपी के ई.स. 16 की प्रति चाही गई है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि व ईन्तकाल में संलग्न अन्य दस्तावेज पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
रायसिंहनगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध जो उत्तर दिनांक 21.09.2020 को दिया गया है वह आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2020 के अनुसार सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रार्थी ने इंतकाल संख्या 16/20.05.1974 की प्रमाणित प्रति चाही गई थी जबकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा इंतकाल संख्या 16 दिनांक 26.06.1990 प्रेषित की है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर को भिजवा कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के आवेदन पत्र अनुसार वांछित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध है और देय है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को 10 दिवस में उपलब्ध करवा दिया जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब [illegible] अखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.01.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.01.22 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर